अपील सूचना अधिकार संख्या 98/2019 (RCMS 2019/00253) कमलेश रानी निवासी बी–14 छाबड़ा कॉलोनी, जयपुर रोड़, बीकानेर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर

30.01.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री कमलेश रानी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर से सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी कमलेश रानी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 10.10.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकार एवं उपखण्ड अधिकार, पदमपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थीः

Following revenue cases including complet order sheet and each and every paper submited by both sides

1. Kunti Devi V/s Indu Bala last hearing 01.10.2019, Case No. 127/17
2. Jitender Kumar V/s Ram Kumar Case No. 13/16 Last Hearing 01.10.2019
3. Indu V/s Jyot Case No. 71/2017, Last Hearing 17.09.2019

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने अपने पत्रांक सू.अ./2019/7181 दिनांक 16.12.2019 से अपील का जवाब निम्न प्रकार से दिया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील में जवाब प्रार्थना एवं टिप्पणी इस प्रकार है :

1. यह कि कमलेश रानी छाबडा कॉलोनी, बीकानेर अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय/न्यायालय से न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88–53 एवं 212 के अन्तर्गत विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों यथा कुन्ती देवी बनाम इन्दुबाला पत्रस. 127/17, जितेन्द्र कुमार बनाम रामकुमार प.स. 13/16 , इन्दु बनाम ज्योति की संपूर्ण पत्रावली ऑर्डरशीट सहित के प्रत्येक पेज की सत्यप्रति प्रतिलिपि मांगी गई थी।

2. यह कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया कि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है कोर्ट केस की नकल पक्षकार स्वयं उपस्थित होकर निर्धारित फीस जमा करवाकर ले सकता है, किसी तृतीय पक्षकार को सूचना प्रदान करना उचित नहीं है क्योंकि इससे न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में पक्षकारों की निजता का हनन होगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 की उपधारा 1(ख) सूचना के प्रकरण से छूट – "ऐसी सूचना जो किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा प्रकाशित किये जाने से अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध की गई है या जिसके प्रकरण से न्यायालय का अवमान हो सकता है।

3. राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमाक 20(84)प्रसु(सूअप्र/2009 पार्ट दिनांक 12.10.2018 के अनुसार

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

" यदि किसी विशेष अधिनियम के दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु कोई विशेष शुल्क निर्धारित है, तो ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु फीस लेने के संबंध में अधिनियम 2005 के प्रावधान लागू न होकर इस विशेष अधिनियम के प्रावधान लागू होगे।"

कोर्ट मेन्युअल में न्यायिक प्रकरण की प्रतिलिपि प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित है। अतः प्रार्थी की अपील खारिज की जाये एवं प्रार्थी को निर्देशित किया जाये कि कोर्ट मेन्युअल के अन्तर्गत उपस्थित होकर न्यायालय से पत्रावली की सत्यप्रति प्रतिलिपि लेने के लिए कोर्ट मेन्युअल की प्रक्रिया की पालना करें।

अतः महोदय जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की अपील खारिज करते हुए प्रार्थी को निर्देशित किया जाये कि कोर्ट मेन्युअल के अन्तर्गत न्यायिक प्रकरण की सत्यप्रति प्रतिलिपि लेने की प्रक्रिया की पालना करें। प्रार्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षरित आवेदन करने पर प्रार्थी को न्यायिक प्रकरण की सत्यप्रति प्रतिलिपि उपलब्ध करवा दी जायेगी।

-sd-
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर

चूंकी अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परन्तु लोक सूचना अधिकारी के जवाब से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया है अथवा नहीं। जबकि धारा 7(1) अन्तर्गत 30 दिवस के भीतर सूचना उपलब्ध करवाने अथवा न करवाने के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से प्रावधान दिये गये हैः

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

धारा 7 अनुरोध का निपटारा :

(1) धारा 5 की उप धारा (2) के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन व स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में अवगत नहीं करवाया गया है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर यदि उनके द्वारा कोई जवाब उसे नहीं भिजवाया गया है तो उसे 7 दिवस में जवाब भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की **अपील निस्तारित** की जाती है और लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।**

यह आदेश आज दिनांक 30.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर **खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर